

पत्रांक-7/नि० 3-12/08

**बिहार सरकार
शिक्षा विभाग।**

प्रेषक,

(उपेन्द्र नारायण महतों)
सरकार के उप सचिव, शिक्षा विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

*वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप* द्वारा :-
से परामर्शित

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2016-17 में शिक्षा विभाग के अधीन प्रत्येक जिला में गठित जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन हेतु उपबंधित ₹7,90,00,000/- (सात करोड़ नब्बे लाख रुपये) में से प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹2,94,62,150/- (दो करोड़ चौरानवे लाख बासठ हजार एक सौ पचास रु०) द्वितीय किस्त के रूप में कुल ₹2,94,62,150/- (दो करोड़ चौरानवे लाख बासठ हजार एक सौ पचास रु०) रुपये की स्वीकृति के उपरान्त शेष अतिरिक्त तृतीय किस्त की राशि 200.00 लाख (दो करोड़) रुपये मात्र की विमुक्ति एवं स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

राज्य के प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक में शिक्षकों के नियोजन तथा उनकी सेवा शर्तों से सम्बन्धित अपील की सुनवाई एवं निष्पादन तथा अनुदानित कोटि एवं अल्पसंख्यक विद्यालयों के विवादों के निबटारा हेतु प्रत्येक जिला में "जिला अपीलीय प्राधिकार" का गठन विभागीय अधिसूचना संख्या 1880 दिनांक 20.12.2013 के द्वारा किया गया है।

2. अपीलीय प्राधिकार के सदस्यों तथा कर्मियों के वेतनादि एवं कार्यालय व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित कुल ₹5,90,00,000/- (पाँच करोड़ नब्बे लाख रुपये) के व्यय की स्वीकृति प्राप्त थी। उक्त मद में इस वित्तीय वर्ष में आवश्यक ₹200.00 (दो करोड़ रुपये) अतिरिक्त राशि का आंतरिक सामंजन राज्य अपीलीय प्राधिकार के संबंधित उदव्यय से जिला अपीलीय प्राधिकार के लिए किया गया है। कुल ₹5,89,24,300/- (पाँच करोड़ नवासी लाख चौबीस हजार तीन सौ रु०) रुपये की स्वीकृति के उपरान्त तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ रु०) रुपये मात्र (व्यय विवरणी संलग्न) की विमुक्ति एवं स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. जिला अपीलीय प्राधिकार के संचालन हेतु कुल स्वीकृत राशि ₹7,90,00,000/- (सात करोड़ नब्बे लाख रुपये) में से तृतीय किस्त के रूप में कुल ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ लाख रु०) रुपये मात्र (व्यय विवरणी संलग्न) का विकलन वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग संख्या-21 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01-प्रारंभिक शिक्षा-लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष-0106-जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, विपत्र कोड-P 2202010010106, विषय शीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ स्कीम कोड- HRD-5386 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि ₹7,90,00,000/- (सात करोड़ नब्बे लाख रुपये) से होगा।

4. उक्त राशि की निकासी सम्बन्धित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जाएगी। साथ ही संलग्न विवरणी के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिला के जिला अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) वित्त विभाग के पत्रांक 6720 दिनांक 25.07.2014 के द्वारा वित्त विभाग के पत्र संख्या- 2561 दिनांक 17.04.98 के कंडिका-2 में प्रावधानित बन्धेज को पूर्ण रूप शिथिल कर दिया गया है। इसलिए द्वितीय किस्त की सम्पूर्ण राशि की निकासी एकमुस्त की जाएगी तथा राशि अपीलीय प्राधिकार को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(iii) राशि की निकासी के पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा की पूर्व अवधि में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त है। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार पटना को भेजा जायेगा।

5. विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनांक 23.03.2017 की बैठक में राशि के व्यय की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि जिन जिलों में संबंधित मद की राशि की उपयोगिता लम्बित है उनके द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने के पश्चात ही राशि की निकासी की जायगी।

6. राशि के व्यय का अनुश्रवण राज्य स्तर पर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

7. इस राशि की निकासी हेतु वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित अवधि में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को भेजा जायेगा, ताकि उसे महालेखाकार को भेजा जा सके।

9. स्वीकृत्यादेश में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ/169/टि० पर प्राप्त है।

10. राशि का विचलन अन्य मदों पर नहीं किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(उपेन्द्र नारायण महतो)

सरकार के उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/नि० 3-12/2008

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव, शिक्षा विभाग।

ज्ञापांक-7/नि० 3-12/08108.....

पटना, दिनांक- 27/3/17.....

प्रतिलिपि :- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी /आय-व्यय पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)/सभी सदस्य, जिला अपीलीय प्राधिकार/सभी कोषागार पदाधिकारी /सभी उप कोषागार पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव, शिक्षा विभाग।




अनुलग्नक-I

मांग संख्या-21 मुख्यश्रीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्यश्रीर्ष 01 प्रारंभिक शिक्षा लघु श्रीर्ष 001 निदेशन और प्रशासन, उपश्रीर्ष 01 06 जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, विपत्र कोड पी० 2202010010106 विषय श्रीर्ष 2801 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में माँग-पत्र की विवरणी ।

क्र० सं०	जिला का नाम	प्राधिकार के सदस्यों का वेतन अन्य भत्ता	सेवा निवृत्त, सदस्य, जिला शिक्षक अपीलीय प्राधिकार का अतिरिक्त बकाया वेतन	कार्यालय कर्मचारियों का मानदेय (अनुमानित राशि)	कार्यालय भाड़ा	आकस्मिकता मद	कुल आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अररिया	0	0	0	0	0	0
2	कटिहार	0	0	0	0	0	0
3	किशनगंज	504000	0	0	0	0	504000
4	पूर्णियाँ	720000	0	0	0	0	720000
5	औरंगाबाद	670000	0	300000	0	0	970000
6	गया	600000	0	100000	0	0	700000
7	अरवल	760000	0	0	0	0	760000
8	जहानाबाद	480000	0	0	0	0	480000
9	नवादा	100000	0	0	0	0	100000
10	बौंका	1000000	0	0	0	0	1000000
11	भागलपुर	0	0	0	0	0	0
12	बेगूसराय	1400000	0	0	0	0	1400000
13	जमूई	600000	0	0	0	0	600000
14	खगड़िया	700000	0	78000	0	0	778000
15	लखीसराय	0	0	0	0	0	0
16	मुंगेर	0	0	0	0	0	0
17	शेखपुरा	600000	0	0	0	0	600000
18	भोजपुर	770000	60000	0	0	0	830000
19	बक्सर	500000	0	250000	0	0	750000
20	कैमूर	820000	0	0	0	0	820000
21	नालंदा	924000	0	0	0	0	924000
22	पटना	625000	0	0	0	0	625000
23	रोहतास	564000	0	0	0	0	564000
24	दरभंगा	0	0	0	0	0	0
25	मधुबनी	0	0	0	0	0	0
26	समस्तीपुर	670000	0	0	0	0	670000
27	गोपालगंज	280000	0	0	0	0	280000
28	सारण	900000	0	0	0	0	900000
29	सिवान	800000	0	0	0	0	800000
30	मधेपुरा	900000	0	0	0	0	900000
31	सुपौल	325000	0	0	0	0	325000
32	सहरसा	750000	0	100000	0	0	850000
33	पूर्वी चम्पारण	0	0	0	0	0	0
34	मुजफ्फरपुर	750000	0	0	0	0	750000
35	शिवहर	0	0	0	0	0	0
36	सीतामढ़ी	400000	0	0	0	0	400000
37	वैशाली	0	0	0	0	0	0
38	पश्चिम चम्पारण	1000000	0	0	0	0	1000000
कुल योग :-		19112000	60000	828000	0	0	20000000

कुल राशि रू० 2,00,00,000 /- (दो करोड़ रुपये) मात्र।


27.3.17